न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बाह्य न्यायालय मोहम्मदी, लखीमपुर–खीरी।

उपस्थितः दिनेश कुमार गौतम.....(उच्चतर न्यायिक सेवा)।

सी0एन0आर0 नं0–यू0पी0एल0पी0 070001422025

दाण्डिक निगरानी सं0–46 / 2025

कम्प्यूटर रजि0नं0–03 / 2025

1–श्रवण कुमार सिंह उम्र लगभग 40 वर्ष पुत्र सर्वेश कुमार सिंह,

2–बागडे उर्फ कौशलेन्द्र विक्रम सिंह उम्र 39 वर्ष पुत्र विजयपाल सिंह,

निवासीगण ग्राम सोनौआ पूर्व थाना पसगवां, वर्तमान थाना उचौलिया, जिला लखीमपुर–खीरी।

..... निगरानीकर्तागण।

बनाम

1–अर्जेन्ट कुमार उर्फ लगभग 35 वर्ष पूर्व रनवीर सिंह, निवासी ग्राम सोनौआ पूर्व थाना पसगवां, वर्तमान थाना उचौलिया, जिला लखीमपुर–खीरी।

2–सरकार उ0प्र0 जरिये जिलाधिकारी, लखीमपुर–खीरी उ0प्र0।

.....विपक्षीगण।

निर्णय

1. वर्तमान दाण्डिक निगरानी निगरानीकर्तागण श्रवण कुमार सिंह व बागडे उर्फ कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने विद्वान विचारण न्यायालय अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट, मोहम्मदी, लखीमपुर–खीरी द्वारा फौजदारी वाद सं0–3698 / 2024, राज्य बनाम श्रवण कुमार आदि में पारित आदेश दिनांक 21.03.2025 से क्षुब्ध होकर विपक्षीगण के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. निगरानी में निगरानीकर्ता पक्ष का कथन है कि विचारण न्यायालय ने निगरानीकर्तागण के प्रार्थना–पत्र का समुचित रूप से विकधक परिशीलन किये बिना ही आदेश पारित किया है, जो विधि मान्य नहीं है। विचारण न्यायालय ने निगरानीकर्ता के विधिक अधिकारों को ध्यान में रखते हुए आदेश नहीं पारित किया है। दिनांक 21.03.2025 के आदेश में स्पष्ट लिखा है कि पी0डब्लू01 अर्जेन्ट कुमार सिंह की मुख्य परीक्षा एवं आंशिक जिरह दिनांक 02.09.2006 को विचारण न्यायालय में दर्ज हो चुकी है। यह कथन अभियोजन अधिकारी ने स्वयं कहा है।

इस बात से भी स्पष्ट होता है कि पी0डब्लू01 अर्जेन्ट कुमार सिंह की जिरह पूर्ण नहीं है, क्योंकि जिरह आंशिक रूप से की गयी है। पी0डब्लू01 अर्जेन्ट कुमार की जिरह के अंतिम पैरा में अंकित किया गया है कि जिरह स्थगित, परन्तु यह स्पष्ट रूप से अंकित नहीं किया गया है कि जिरह किस कारण से स्थगित की गयी है। जिरह स्थगित करने का कोई स्पष्ट कारण का उल्लेख नहीं किया गया है। बिना कोई कारण के जिरह स्थगित किया जाना सम्भव नहीं है। न्यायहित में जिरह का अवसर दिया जाना आवश्यक है और पुनः जिरह हेतु पी0डब्लू01 अर्जेन्ट कुमार की जिरह हेतु सम्मन किया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं। अतः निगरानीकर्तागण की निगरानी स्वीकार करने की प्रार्थना की गयी है।

3. विपक्षी ने निगरानी में आपत्ति प्रस्तुत कर कथन किया है कि घटना दिनांक 09.11.2003, समय करीब सुबह 8:00 बजे की है। आपत्तिकर्ता अपने घर में बैठा था, तभी घर के बाहर शोरगुल की आवाजे सुनाई दी। काफी भीड़ इकट्ठा थी और भीड में आपस में लोग झगड़ा कर रहे थे, जिन्हें वह जानता व पहचानता नहीं था। आपत्तिकर्ता भी झगड़ा देखने के लिए भीड़ की तरफ बढ़ा, तभी भीड़ में झगड़ा कर रहे कुछ लोगों ने आपत्तिकर्ता को भी लाठी–डंडों से मारा, मारने वालों को वह देख व पहचान नहीं पाया था। भीड़ में किसी ने नाजायज तमंचे से फायर भी की थी। आपत्तिकर्ता ने गांव वालों के कहने व बताने के अनुसार अपने ही गांव के श्रवण कुमार पुत्र सर्वेश कुमार सिंह व बागड़े पुत्र विजयपाल सिंह, पवन कुमार पुत्र वीरेश कुमार सिंह के विरूद्ध थाना पसगवां में मु0अप0सं0– 686/2003, धारा–307,452,323,504,506 भा0दं0सं0 में दिनांक 09.11.2003 को दर्ज करा दिया था। घटनास्थल पर उसने श्रवण कुमार को अपने पिता की रायफल लिए हुए नहीं देखा था। श्रवण कुमार ने रायफल की वट से व बागड़े ने बेल्ट से उसे नहीं मारा था और पवन कुमार ने उसे नहीं पकड़ा था तथा श्रवण कुमार को रायफल से फायर करते हुए भी उसने नहीं देखा था। मुकदमे की तहरीर लिखने वाले ने यह सब किसके कहने पर लिखा आपत्तिकर्ता को इसकी जानकारी नहीं है। आपत्तिकर्ता चोटहिल होने के कारण परेशानथा। उसने तहरीर बिना पढ़े और बिना सुने ही उस पर अपने हस्ताक्षर बना दिये थे। उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में विवेचक ने कभी आपत्तिकर्ता का बयान दर्ज नहीं किया और न ही कभी घटनास्थल का आपत्तिकर्ता की निशानदेही पर निरीक्षण किया। आपत्तिकर्ता द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष साक्ष्य में सरकारी वकील द्वारा मुख्य परीक्षा अंकित करायी गयी है। आपत्तिकर्ता को आयी चोटें अज्ञात व्यक्तियों द्वारा कारित की गयी थी, जिन्हें आपत्तिकर्ता जानता व पहचानता नहीं है। आपत्तिकर्ता की आपत्ति स्वीकार कर निगरानी निर्णीत करने की प्रार्थना की गयी है।

4. विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा

पारित आलोच्य आदेश सही तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए विधि–अनुसार पारित किया गया है। विचारण न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। अतः निगरानी निरस्त की जाये।

5. प्रस्तुत फौजदारी निगरानी में निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी को विस्तारपूर्वक सुना गया प्रस्तुत निगरानी की पत्रावली पर उपलब्ध विचारण न्यायालय की पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया गया।

6. अब विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 21.03.2025 किसी अशुद्धता, अविधिकता तथा निष्कर्ष की अनौचित्यता से ग्रसित है?

7. विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली से स्पष्ट है कि विपक्षी सं01/वादी अर्जैन्ट कुमार द्वारा दिनांक 09.11.2003 को एक लिखित प्रार्थना–पत्र थाना पसगवां, जिला खीरी में प्रस्तुत किया गया, जिसमें कथन किया गया है कि दिनांक 09.11.2003 को समय करीब 8 बजे सुबह अपने घर के अन्दर बैठा था कि उसके गांव के श्रवण कुमार पुत्र सर्वेश कुमार सिंह, बागड़े पुत्र विजयपाल सिंह, पवन कुमार पुत्र वीरेश कुमार सिंह उसके घर में घुस आये और गाली–गलौज करते हुए उसे घर के बाहर पकड़ लाये और श्रवण कुमार अपने पिता की राइफल लिए थे। राइफल की वट से मारने लगे तथा बागड़े अपनी बेल्ट निकालकर मारने लगे और पवन कुमार उसे पकडे हुए थे। ये सभी लोग मारने लगे और उसके चिल्लाने पर उसके गांव के बांकेलाल व रामप्रसाद व गांव के बहुत से लोगों के आ जाने पर व मना करने पर श्रवण कमार अपने हाथ में लिए राइफल से जान से मारने की नियत से सीधे फायर किया, जिससे प्रार्थी बाल–बाल बच गया। उपरोक्त सभी लोग गाली–गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए चले गये। उक्त प्रार्थना–पत्र के आधार पर थाना पसगवां, जिला लखीमपुर–खीरी द्वारा मु0अप0सं0–686/2003, दिनांक 09.11.2003 को अभियुक्तगण श्रवण कुमार, बागड़े व पवन कुमार के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर आवश्यक अग्रिम कार्यवाही की गयी। विवेचक, थाना पसगवां द्वारा दिनांक 07.12.2003 को अभियुक्तगण श्रवण कुमार, बागड़े व पवन कुमार के विरूद्ध आरोप–पत्र न्यायालय ए0जे0एम0, मोहम्मदी, जिला खीरी के समक्ष प्रेषित किया गया।

8. निगरानीकर्तागण श्रवण कुमार सिंह व बागडे सिंह द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि प्रार्थीगण उपरोक्त निगरानी में निगरानीकर्तागण है तथा निगरानीकर्तागण ने उपरोक्त निगरानी न्यायालय अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट, मोहम्मदी, जिला लखीमपुर–खीरी के आदेश दिनांक 21.03.2025 के विरूद्ध दायर की थी। निगरानी के दौरान विपक्षी अर्जैन्ट कुमार की मृत्यु हो चुकी है। इस कारण

इस निगरानी पर प्रार्थीगण बल नहीं देना चाहते हैं। चूँकि विपक्षी की मृत्यु के कारण इस निगरानी को करने का उद्देश्य विफल हो गया है। प्रार्थीगण की उपरोक्त निगरानी को बल न देने के कारण निरस्त कर दिये जाने की प्रार्थना की गयी है।

9. अतः सम्पूर्ण विश्लेषण एवं विधिक सिद्धांतों के आलोक में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 21.03.2025 में कोई अविधिकता, अनियमिता दर्शित नहीं होती है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश औचित्यपूर्ण हैं। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश में हस्तक्षेप किये जाने का कोई युक्तियुक्त आधार नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.03.2025 पुष्ट किये जाने योग्य है। तद्नुसार दाण्डिक निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

वर्तमान दाण्डिक निगरानी निरस्त की जाती है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.03.2025 तद्नुसार पुष्ट किया जाता है। इस निर्णय की एक प्रति के साथ विचारण न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली विचारण न्यायालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु वापस प्रेषित हो। इस न्यायालय की पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर की जाये।

दिनांक–03.07.2026

(दिनेश कुमार गौतम),
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
बाह्य न्यायालय मोहम्मदी,
जिला लखीमपुर–खीरी।
Jo Code UP1845

उक्त निर्णय एवं आदेश आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके उद्घोषित किया गया।

दिनांक–03.07.2026

(दिनेश कुमार गौतम),
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
बाह्य न्यायालय मोहम्मदी,
जिला लखीमपुर–खीरी।
Jo Code UP1845

Digitally signed by DINESH KUMAR GAUTAM
Date: 2026.07.03 16:14:48 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court